सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 4461 / 1011 / 2015 दिनांकः– 03.02.2017

के मामले में

श्री अमीर हुसैन, ... शिकायतकर्ता
44, नसरूलाह छात्रावास, D781
वी.एम. हॉल,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश–202002

बनाम

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ... प्रतिवादी
द्वारा कुलपति, D782
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश–202002

केस संख्या 5062 / 1011 / 2015

श्री जाहिद अली, ... शिकायतकर्ता
पुत्र श्री इशाक खॉं, D783
निवासी – ग्राम – मोहम्मदी, नगला,
माजरा – त्यौर बुजुर्ग, पोस्ट – छतारी,
जनपद – बुलन्दशहर–202397 (उत्तर प्रदेश)

बनाम

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ... प्रतिवादी
द्वारा कुलपति, D784
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश –202002

सुनवाई की तारीख : 11.04.2016, 28.07.2016 एवं 26.10.2016

उपस्थितः

11.04.2016

1. श्री अमीर हुसैन, शिकायतकर्ता ।
2. श्री जाहिद अली, शिकायतकर्ता ।
3. डा. एस. अली नवर ज़ैदी, उप रजिस्ट्रार और श्री पी.के. मजूमदार, अनुभाग अधिकारी(प्रशा.), प्रतिवादी की ओर से ।

28.07.2016:

1. सर्वश्री अमीर हुसैन, शिकायतकर्ता ।
2. श्री जाहिद अली, शिकायतकर्ता ।
3. डा. एस. अली नवाज ज़ैदी, उप रजिस्ट्रार और श्री पी.के. मजूमदार, अनुभाग अधिकारी(प्रशा.), प्रतिवादी की ओर से ।

26.10.2016

1.. श्री जाहिद अली, शिकायतकर्ता ।
3. डा. एस. अली नवाज ज़ैदी, उप रजिस्ट्रार, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, प्रतिवादी की ओर से ।

.....2/–

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता श्री अमीर हुसैन, 60 प्रतिशत अस्थिबाधित एवं श्री जाहिद अली, 75 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत अलीगढ़ विश्वविद्यालय में विकलांगों की नौकरियों में भर्ती से संबंधित शिकायत–पत्र दिनांक 12.06.2015 एवं 17.08.2015 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किए ।

केस संख्या 4461/1011/2015

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि यद्यपि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् ने वर्ष 2005 में निःशक्तजनों के लिए दाखिले, रोजगार और प्रोन्नति में 3 प्रतिशत का आरक्षण स्वीकृत किया था परन्तु इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है । सूचना के अधिकार के अन्तर्गत फाइल आवेदन के उत्तर में रजिस्ट्रार कार्यालय ने यह स्वीकार किया कि निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के अधीन केवल एक नियुक्ति की गई है । अभी हाल ही में एक समिति का गठन किया गया है जो निःशक्त व्यक्तियों के लिए पद चिन्हित करेगी । विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझकर रिपोर्ट लागू करने में देरी कर रहा है । उसने आगे निवेदन किया कि सहायक प्रोफेसर का एक पद समाज कार्य विभाग में निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित है और यदि चयन समिति के बैठक से पहले रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती है तो वह उसके लिए लाभकारी होगा ।

केस संख्याः 5062/1011/2015

3. शिकायतकता श्री जाहिद अली का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1995 से लेकर अब तक विकलांगों के लिए विशेष भर्ती प्रकिया नहीं कराई गई है । प्रार्थी का आगे कहना है कि उनको आर.टी.आई. के अंतर्गत जवाब से मालूम पड़ा कि 1995 से लेकर अब तक सिर्फ एक विकलांग व्यक्ति की नियुक्ति की गई है वह भी सामान्य भर्ती प्रकिया द्वारा की गई थी न कि विकलांग भर्ती प्रकिया द्वारा । प्रार्थी का कहना है कि वर्ष 2006 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा कमेटी का गठन किया गया जिसके बाद भी परिणाम शून्य रहा । फिर मई, 2015 में पुनः एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें कुलपति ने विकलांगों को आश्वासन दिया कि निःशक्त व्यक्तियों के पद चिन्हित करने के लिए कमेटी गठित की गई है उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पेश किया जाएगा । उसके बाद आगे की प्रकिया पूर्ण की जाएगी । परन्तु सामान्य भर्ती

.....3/–

प्रकिया तो की जाती रही है लेकिन विकलांगजन की भर्ती प्रकिया अभी तक नहीं की गई जिसके लिए विकलांग छात्रों ने अलीग़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का प्रयत्न किया परन्तु वे चयन समिति में व्यस्त होने के कारण नहीं मिल सके ।

4. मामला अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत केस संख्या 4461/1011/2015 में दिनांक 17.06.2015 एवं केस संख्या 5062/1011/2015 में दिनांक 22.09.2015 द्वारा प्रतिवादी के साथ उठाया गया ।

5. प्रतिवादी के पत्रों दिनांक 14.07.2015 एवं 27.11.2015 एवं शिकायतकर्ताओं के टिप्पण दिनांक 05.01.2015 एवं 06.01.2016 को ध्यान मे रखते हुए सुनवाई 11.04.2016 को निर्धारित की गई ।

6. दिनांक 11.04.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने निवेदन किया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सच्ची भावना से विकलांगता अधिनियम, 1995 और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है । विश्वविद्यालय में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का बैकलाग है और उन रिक्तियों को आगे ले जाया जाना है । अधिनियम के अनुसारं 3 प्रतिशत रिक्तियां विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जानी हैं । विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1995 से लेकर अब तक कोई विशेष भर्ती प्रकिया नहीं कराई गई है । विश्वविद्यालय में अब तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, सभी नियुक्तियां सामान्य चयन प्रकिया के माध्यम से ही की गई हैं । इस न्यायालय के पत्र दिनांक 14.07.2015 के उत्तर में विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने सूचित किया है कि 1996 से 41 रिक्तियां विकलांग व्यक्तियों के लिए चिन्हित की गई हैं और 04 रिक्तियां भरी गई हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विकलांगजन अधिनियम का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहा है । शिकायतकर्ता ने आगे यह भी निवेदन किया कि विकलांग छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का प्रयत्न किया परन्तु वे सेलेक्शन कमेटी में व्यस्त होने के कारण नहीं मिल सके । सूचना के अधिकार के अन्तर्गत शिकायतकर्ता द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगी गई जानकारी पूर्ण रूप से नहीं दी जा रही है । उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि विश्वविद्यालय को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं ।

7. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि विश्वविद्यालय में विकलांगजन अधिनियम और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशा–निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है । विकलांगजन अधिनियम के प्रभावी रूप से लागू करने और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए कुलपति ने शैक्षिक और गैर

शैक्षिक पदों की रिक्तियॉ विकलांग व्यक्तियों के लिए चिन्हित करने के लिए समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट कुलपति ने स्वीकार कर ली है, जिसकी अनुपालना में शैक्षिक और गैर–शैक्षिक पदों पर विकलांगजनों की भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान के लिए दिनांक 05.02.2016 को विज्ञापन संख्या 1/2016 का प्रकाशन किया गया है । भविष्य में जैसे ही नियुक्तियां होती जाएंगी, उसके पश्चात् विवरणी तैयार करके आरक्षण रोस्टर रजिस्टर बनाया जाएगा और इस न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा । इस कार्य में लगभग तीन मास का समय लगेगा ।

8. पक्षकारों को सुनने के पश्चात् न्यायालय ने प्रतिवादी का ध्यान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/8/2003–स्था. (आरक्षण) दिनांक 26.04.2006 की ओर आकर्षित किया जिसके अनुसार "यह तय किया गया कि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित किया जाना चाहिए और आरक्षण की योजना से कोई भी विचलन विशेषतः अधिनियम के लागू हो जाने के उपरांत नहीं होना चाहिए । इस उद्देश्य को हासिल करने की दृष्टि से, सभी स्थापनाओं के द्वारा इस विभाग के दिनांक 29.12.2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2004–स्थापना (आरक्षण) के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1996 से प्रारम्भ करते हुए आरक्षण रोस्टर रजिस्टर तैयार किए जाएं तथा उक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण उद्दिष्ट किया जाए । यदि इस तरह उद्दिष्ट कुछ अथवा सभी रिक्तियां आरक्षण द्वारा भरी नहीं गई हों और वे समुचित समय पर आरक्षण के प्वांयट उचित ढंग से उद्दिष्ट नहीं कर पाने के कारण अथवा निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण सशक्त व्यक्तियों द्वारा भर ली गई हों तो ऐसा अप्रयुक्त आरक्षण, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी हो जाने के उपरांत घटित होने वाले प्रथम भर्ती वर्ष को अग्रेनीत कर लिया गया मान लिया जाए और उसे इस तरह से भरा जाए । यदि ऐसी आरक्षित रिक्तियों को उक्त भर्ती वर्ष के दौरान भर पाना संभव नहीं हो तो आरक्षण को आगे दो वर्षें के लिए अग्रेनीत कर लिया जाएगा, जिसके उपरांत इसे व्यपगत हुआ मान लिया जाए।" प्रतिवादी को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं:–

(1) दिनांक 01.01.1996 से आरक्षण रोस्टर बना कर संपर्क अधिकारी (Liaison Officer) से प्रमाणित करवा कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें ।

(2) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2013 की सिविल अपील संख्या 9096 (2009 की विशेष इंजाजत याचिका संख्या (सिविल) संख्या 7541 से उद्भूत), भारत संघ और एक अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड

और अन्य) में पारित आदेश दिनांक 08.10.2013 का कड़ाई से पालन करें ।

(3) आरक्षण से संबंधित प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापनों का कड़ाई से पालन करें ।

इन कार्यवाहियों के अभिलेख के जारी होने की तारीख से तीन मास के भीतर अनुपालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें ।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक 28.07.2016 को निर्धारित की गई ।

9. दिनांक 28.07.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति की दिनांक 29.08.2015 की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार सहायक प्रोफेसर, सामाजिक कार्य का एक पद विकलांगजन के लिए चिन्हित है । जब भी यह रिक्ति विभाग में प्रांप्त होती है तो इसे भरने के लिए विज्ञापन दिया जाए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को विकलांगजन अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के संबंध में लिखे गए अर्ध–सरकारी पत्र दिनांक 07.04.2016 की प्रति प्रस्तुत की । उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि विश्वविद्यालय को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं ।

10. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि विश्वविद्यालय में विकलांगजन अधिनियम और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशा–निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है । विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण रोस्टर पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं । न्यायालय के निर्देशानुसार समूह ग और घ के गैर–शिक्षक कर्मचारियों के आरक्षण रोस्टर पुनः तैयार किए जा रहे हैं । विकलांगजन के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं, उनकी भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है। विश्वविद्यालय के छह विभागों में चयन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है । बाकी विभागों की चयन प्रक्रिया जारी है और चयन हेतु समिति बना दी गई है ।

11. न्यायालय ने प्रतिवादी के प्रतिनिधि का ध्यान सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के अर्ध–सरकारी पत्र संख्या एफ.6–7/2015(एससीटी) दिनांक 07.04.2016 और प्रतिवादी द्वारा शिकायतकर्ता श्री अमीर हुसैन द्वारा पी.जी.पोर्टल पर की गई शिकायत सख्या पीएमओपीजी/ई/2015/0196015 दिनांक 31.12.2015 की ओर दिलाया तो प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने इसका तत्काल उत्तर देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और निवेदन किया कि वे जाकर इस बात का पता लगाएंगे कि क्या उक्त पत्र

कार्यालय मे प्राप्त हुआ था या नहीं और इस पर क्या कार्रवाई की गई । प्रतिवादी द्वारा उनके पत्र दिनांक 20.07.2016 के साथ फाइल किए गए आरक्षण रजिस्टर की प्रति की जांच की गई और यह पाया गया कि विश्वविद्यालय ने सहायक प्रोफेसर की 07 रिक्तियां विभिन्न स्कीमों में 05 रिक्तियां ओएच के लिए और प्रत्येक 01 रिक्ति एचएच और पीएच के लिए आरक्षित करते हुए प्रकाशित की हैं । आरक्षण रजिस्टर पर न तो नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर करवाए गए हैं और न ही सम्पर्क अधिकारी से प्रमाणपत्र लिया गया है ।

12. पक्षकारों को सुनने के पश्चात् प्रतिवादी को निम्नलिखित निर्देश जारी किए:–

(1) शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त पत्रों पर प्रतिवादी स्टेट्स/उत्तर प्रस्तुत करे ।

(2) किस आधार पर ओएच के लिए पांच रिक्तियां और वीएच और एचएच प्रत्येक के लिए एक रिक्ति प्रकाशित करने का विनिश्चय किया गया है, जोकि निःशक्तजन अधिनियम की धारा 33 के विरूद्ध है । अधिनियम की धारा 33 के अनुसार – प्रत्येक समुचित सरकार, प्रत्येक स्थापन में निःशक्त व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए उतनी प्रतिशत रिक्तियां नियत करेंगी जो तीन प्रतिशत से कम न हों, जिसमें से प्रत्येक निःशक्तता के लिए पता लगाए गए पदों में से एक प्रतिशत निम्नलिखित से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा, अर्थात् – (।) अंधता या कम दृष्टि (।।) श्रवण शक्ति का ह्रास और (।।।) चलन निःशक्तता या प्रमस्तिष्क घात । परन्तु समुचित सरकार, किसी विभाग या स्थापन में किए जा रहे कार्य की किस्म को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी स्थापन को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी।

(3) दिनांक 01.01.1996 से आरक्षण रोस्टर की प्रति संपर्क अधिकारी (Liaison Officer) से प्रमाणित करवा कर कि आरक्षण रोस्टर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार बनाया गया है, सुनवाई की तारीख से 15 दिन पूर्व इस न्यायालय में प्रस्तुत करें ।

(4) रिक्तियों के बैकलाग की गणना करें और बैकलाग रिक्तियों का समयबद्ध रीति से भरने के लिए पूर्ण प्रयास करें ।

.....7/–

मामले की अगली सुनवाई दिनांक 26.10.2016 को निर्धारित की गई ।

13. दिनांक 26.10.2016 को शिकायतकर्ता जाहित अली ने अपने लिखित कथनों को दोहाराया और निवेदन किया कि मेरे द्वारा दिनांक 17.08.2015 को भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय (लोक शिकायत निदेशालय) को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विरूद्धं विकलांगजनों की भर्ती को लेकर शिकायत की गई थी परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रकार का कोई भी उत्तर नहीं दिया है । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सदैव तुच्छ और गिरी निगाह से देखा जाता है । विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार, कुलपति, उपकुलपति, डीन, चेयरमैन द्वारा सदेव अपने मित्र व रिश्तेदारों एवं अपने घर में काम करने वाले व्यक्तियों की भर्ती की है क्योंकि ये लोग इनके घरों की भी देखभाल करते हैं और इन सब कार्यों को करने में विकलांग असमर्थ हैं । अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि इनके विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाए ।

14. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने अन्य बातों के साथ निवेदन किया कि सामाजिक कार्य विभाग में सहायक प्रोफेसर का पद कुलपति की स्वीकृति से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है । जब भी यह पद उपलब्ध होगा तो वह समाज कार्य विभाग को आबंटित कर दिया जाएगा । कार्यकारी समिति इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

15. पक्षकारों की सुनवाई एवं कार्यालय अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय ने यह पाया है कि विश्वविद्यालय में विकलांगजन अधिनियम और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशा–निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है । विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण रोस्टर पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं । न्यायालय के निर्देशानुसार समूह ग और घ के गैर–शिक्षक कर्मचारियों के आरक्षण रोस्टर पुनः तैयार किए जा रहे हैं । विकलांगजन के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं, उनकी भर्ती के लिए प्रकिया चल रही है। विश्वविद्यालय के छह विभागों में चयन प्रकिया पूर्ण हो गई है । बाकी विभागों की चयन प्रकिया जारी है और चयन हेतु समिति बना दी गई है । प्रतिवादी को निम्नलिखित निर्देशों के साथ मामले का निपटारा किया जाता है:–

(1) रोस्टर के हिसाब से रिक्तियों की गणना करें और विशेष भर्ती अभियान चला कर रिक्तियों की भर्ती करें ।

(2) भर्ती का विज्ञापन कार्मिक और प्रशासनिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2004–स्था. (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 तथा समय

.....8/–

समय पर जारी किए गए आगामी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार होना चाहिए ।

(3) चयनित अभ्यर्थियों के नाम, विकलांगता की प्रकृति और विकलांगता की प्रतिशतता आदि विवरण सहित उनके पदग्रहण के 15 दिनों के अन्दर इस न्यायालय को सूचित करें ।

(4) संपूर्ण प्रकिया इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 180 दिनों के अन्दर पूरी हो जानी चाहिए ।

16. इस आदेश की अनुपालना इस न्यायालय को 15.07.2017 तक भेजी जाए ।

(डा. कमलेश कुमार पान्डे)
मुख्य आयुक्त विकलांगजन